न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 84 / 2017 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्रीमती गजराई पत्नी स्व. हुकमाराम उम्र वयस्क, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बिरोल, तहसील जैतारण जिला पाली		1. श्रीमती गंगादवी पत्नी लच्छा जी 2. सोहनलाल पुत्र लच्छा जी 3. ओमप्रकाश पुत्र लच्छा जी 4. पप्पूराम पुत्र लच्छा जी 5. गुलाब पुत्री लच्छा जी 6. इन्द्रा पुत्री लच्छा जी 7. पांची पुत्री लच्छा जी, जातिगण कुमार निवासीगण बिरोल तहसील जैतारण जिला पाली 8. तहसीलदार (भूमिधारी), जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से एडवोकेट श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.02.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार (भू.अ.) जैतारण के नामान्तरकरण संख्या 513 स्वीकृत दिनांक 03.11.1989 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है तथा बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सूनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि मौजा बिरोल, पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 286 रकबा 03 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता स्थित है। अपीलाधीन भूमि पर अपीलाण्ट के ससुर रावत जी तथा उनके भाई जेठाजी व लच्छाजी का सामलाती कब्जा था तथा तीनों अपने–अपने हिस्से पर काबिज थे व उसका उपयोग / उपभोग कर रहे थे। जैर अपील खसरा भूमि के संबंध में तहसील कार्यालय जैतारण से सरकार बनाम जेठा वगैरा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। इस बाबत तीनों भाईयों ने दिनांक 03.08.1970 को तहसील कार्यालय जैतारण में जैर अपील भूमि पर अपना सामलाती कब्जा मानते हुए, उनके नाम नियमन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी प्रति पत्रावली के संलग्न है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पति व 2 से 7 के पिता लच्छाजी ने तहसीलदार से मिलावट कर अपीलाधीन भूमि को अपने नाम नियमन करवा दिया एवं रावतजी तथा जेठाजी को इससे वंचित कर दिया। जबकि सभी का सामलाती कब्जा था। धारा 91 राज. भू. राजस्व अधि. के तहत भी जेठा, रावत व लच्छा तीनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....2

तहसीलदार जैतारण द्वारा मौके एवं रेकर्ड की जांच नहीं की गई एवं न ही कब्जाधारियों को सूना गया। इस प्रकार बाड़ा नियमन का आदेश विधि विरूद्ध होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 513 दिनांक 03.11.1989 खारिज किया जावे। दिनांक 23.06.2015 को रेस्पोडेण्टगण अपीलाण्ट के पास आये तथा धमकी दी कि वे जैर अपील खसरा नम्बर 286 रकबा 3 बिस्वा भूमि बेचाण कर देगें, तब अपीलाण्ट द्वारा जानकारी की गई तो दिनांक 25.06.2015 को ध्यान में आया कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण लच्छाजी पुत्र जोरा के नाम हो चूका है, तो जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किया जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया जैर अपील ग्राम बिरोल पटवार हल्का बिरोल के नामान्तरकरण संख्या 513 दिनांक 03.11.1989 तहसीलदार जैतारण के आदेश कमांक 256 दिनांक 09.05.1977 के अनुसरण में खसरा नम्बर 286 कुल रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा गै.मु. रास्ता में से 3 बिस्वा किस्म गै.मु. बाड़ा कब्जा होने एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा नियमन किए जाने से उक्त आदेश की पालना में लच्छा पुत्र जोरा के नाम भरा गया है। खसरा नम्बर 286 ग्राम बिरोल गै.मु.रास्ते की भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। जिससे उसका नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत अपील नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई हैं। जबकि नामान्तरकण तहसीलदार जैतारण के बाड़ा नियमन आदेश कमांक 256 दिनांक 09.05.1977 के अनुसरण में ही भरा गया हैं। नियमन आदेश के आधार पर दायर नामान्तरकरण की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाना न्यायोचित नहीं है। जबकि नियमन को खारिज कराने हेतु विधि में पृथक से समुचित उपचार का प्रावधान दिया गया है, तो नामान्तरकरण की परिधी में नियमन को प्रश्नगत किया जाना विधि सम्मत नहीं है। जब तक नियमन आदेश निरस्त नहीं करवाया जाता है। तब तक इसकी पालना में भरे गये नामान्तरकरण संख्या 513 को निरस्त किया जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बिरोल पटवार हल्का बिरोल के खसरा नम्बर 286 गै.मु.रास्ता की भूमि का नियमन लच्छा पुत्र जोरा कौम कुमार साकिन बिरोल के नाम किया गया है। जो नियम विरूद्ध होने से उक्त नियमन आदेश कमांक 256 दिनांक 09.05.1977 को निरस्त कराने हेतु एक माह के भीतर विधि सम्मत कार्यवाही करें। मुल नामान्तरकरण के साथ निर्णय की सत्य प्रति तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)